

निविदा फार्म मूल्य रुपये

Cost of Tender Form Rs.

(अहस्तांतरणीय)

(NON TRANSFERERABLE)

Sr. No. _____

Date of receipt of tendered on..... at

दिनांकको खोले जाने वाली निविदा सूचना.....की अधि सूचि ।

Schedule to tender Notice for _____ to be opened on _____

केन्द्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय, सीमा सुरक्षा बल, इन्दौर (म. प्र.)
CSWT, BORDER SECURITY FORCE, INDORE (M.P.)

निविदा सूचना संख्या.....

दिनांक.....

Tender Notice No. _____

Dated _____

निविदा प्रपत्र
TENDER FORM

1. विषय :- निविदा सूचना सामग्री का नाम जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गई है ।
.....
(i) Subject :- TENDER FOR.....
(mention the name of the article for which the tender is submitted)
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम _____
और पूरा पता _____
(ii) Name and full postal address of.....
the firm submitting the tender.....
3. निविदा जिसको भेजी जानी है उसका पता - डी.आई.जी., कमान्डेन्ट
केन्द्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय
सीमा सुरक्षा बल, बिजासन रोड, इन्दौर (म. प्र.) पिन 452005
(iii) Addressed to :-
DIG, Commandant (D.I.G.)
CSWT, BSF,
Bijasan Road, INDORE (M.P.) 452005
4. सन्दर्भ :- दिनांक.....के निविदा सूचना.....
दिनांक.....के संदर्भ में ।
(iv) Reference :- This with reference to Tender Notice No.....
dated
5. धरोहर राशि
- (v) Earnest money Rs.

5. निविदा फीस रुपये.....रुपये अक्षरों में.....(मात्र)
पोस्टल आर्डर नम्बर.....के अन्तर्गत जमा किये गये।
- (iv) The tender fee amounting to Rs.(Rupees).....
been deposited vide postal order / TR-5 No.dated.....
for Rs.
6. दिनांक को डीआईजी, कमाण्डेंट सीएसडब्ल्यूटी., बीएसएफ., इन्दौर के निविदा सूचना सं.
में उल्लेखित शर्तों को मानने को पाबन्द हूँ और उसके अन्तर्गत जारी विशेष शर्तें जो कि इससे अनुलग्न हैं, के प्रत्येक पेज के
हाशिए में स्वीकृति स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
- (vi) We agree to abide by all the conditions mentioned in Tender Notice No.
dt..... issued by the DIG, Commandant CSWT, B.S.F., INDORE and also the General
and specific terms and conditions as annexed the said tender Notice and as given in the attached
sheet all the pages of which have been signed in the margin by us in token of our acceptance of the
terms and conditions mentioned therein.
7. हमारे रेट निम्नलिखित माल की आपूर्ति के लिए : तादाद एवं किस्म जिसमें कि ये रेट्स दिये जा रहे हैं वह अंको एवं शब्दों में
दर्शाये गये हैं :-
1.
2.
3.
- (vii) Our rates for the supply (mentioned the name of the articles
and its quantity for which tender is submitted are as under the figures of rates quoted should also be
written in words).
1.
2.
3.
8. आपूर्ति करने के निश्चय आदेश प्राप्त होने की तिथि से दिनों के भीतर उपर्युक्त माल
सुपुर्दगी के लिए भी पाबन्द हूँ।
- (viii) We further agree to deliver the above mentioned stores within a period of
days from the date of firm order.
9. हम यह पुष्टि करते हैं कि हमारे दिये गये रेट टेन्डर तारीख से माह तक वैध रहेंगे।
- (ix) We confirm that the rates quoted above are valid for a period of month
from the date of opening the tender.
10. बैंक में देय डीआईजी, कमाण्डेंट, सीएसडब्ल्यूटी., बीएसएफ., इन्दौर
के नाम में तैयार दिनांक का बैंक ड्राफ्ट नं.
इस पत्र से 5% बयाना राशि के अनुलग्न हैं।

निविदाकार के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व ओहदा

- (x) Draft No.dated.....for Rs.
(Rupees).....in favour of
DIG Commandant CSWT, BSF., INDORE is enclosed herewith the (mentioned the name of the
Bank). Cover enclosed herewith the 5% of the total cost of the stores for which the tender is
submitted at the rates quoted above.

Dated.....
place.....

Signature of
Proprietor/Manager Rep. of the firm
on behalf of the firm given Tender.



केन्द्रीय आयुध एवं युद्ध कौशल विद्यालय, सीमा सुरक्षा बल इन्दौर (म. प्र.)

C. S. W. T., BORDER SECURITY FORCE INDORE (M. P.)

निविदा सूचना सं.

दिनांक.....

To Tender Notice No. _____

Date _____

निविदा एवं ठेके की आम शर्तें

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF TENDER AND CONTRACT

नोट : - निम्नलिखित शर्तें सभी निविदाकारों के द्वारा निविदा भरते समय ध्यानपूर्वक अमल में लाई जाए।

N. B. -- These conditions should be read very carefully by the tenderers while filling in their tenders.

1. निविदा/कोटेशन उचित ढंग से मोहरबंद लिफाफे के साथ संलग्न की जानी चाहिए और डीआईजी, कमांडेंट सीएसडब्ल्यूटी बी. एस. एफ. इन्दौर के पते पर इस प्रकार भेजना चाहिए कि लिफाफे के बाईं तरफ के नीचे वाले कोने में कार्य का नाम या जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका नाम लिखा जाना चाहिए और जिसको निविदा भेजी जा रही है उसका पता अवश्य लिखा जाना चाहिए।

1. The tender/quotation must be enclosed in a properly sealed envelope addressed to the DIG, Commandant C.S.W.T. B.S.F., Bijasan Road, INDORE-452005

On the top of the containing the tender the word 'TENDER' FOR _____

(MENTION THE NAME OF THE ARTICLES WHICH THE TENDER IS SUBMITTED)

should be superscribed and on the left side near the lower corner of the envelope the address the tendered should be written invariably.

2. रेट अंकों के साथ-साथ शब्दों में भी अवश्य लिखा जाना चाहिए और किसी भी हालत में लिखे गए रेटों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

2. The rate unit must not under any circumstance be altered and the rates must be entered in words as well as in figures.

3. निविदा उसी वितरक/फर्म के द्वारा दी जानी चाहिए जो उस बस्ते के लिए पंजीकृत / अनुमोदित पूर्तिकर्ता/ठेकेदार हो या उन व्यक्तियों के द्वारा दी जानी चाहिए जो कि वास्तव में उन वस्तुओं/सामान का व्यापार कर रहे हों जिनके लिए निविदा दी जाती है।

3. Tenders should be given by those firm/dealers who are either registered/Approved Supplier/ Contractors for those articles/Goods/Equipment/Machineries etc., or by those who are dealing actually in the goods for which tender is being given.

4. अनुमोदित पूर्तिकर्ता/ठेकेदार से यह आशय होगा कि वह पूर्ण/निर्माण किए जाने वाले सामान के बनावट/आकार/चित्र इत्यादि के बारे में भली प्रकार जान चुका हो। यदि उसको उपरोक्त आकार/निर्देश/बनावट इत्यादि में किसी भी प्रकार का संदेह/शंका होने पर वह निविदा/कोटेशन को प्रस्तुत करने से पहले निविदा मांगने वाले कार्यालय से या उसके प्रतिनिधि से उपर्युक्त का स्पष्टीकरण मांगेगा।
4. The approved supplier/contractor shall be deemed to have carefully examined the conditions, specifications, sizes, make and drawings etc of the goods to be supplied/fabricated. If he shall have any doubts as to the meaning of any portion of these condition or of the specifications drawings etc. he shall before submitting his Tender/Quotation refer to the DIG, Commandant C.S.W.T., B.S.F. INDORE or his representative and get clarifications.
5. ठेकेदार/पूर्तिकर्ता ठेके या ठेके का कुछ भाग किसी अन्य पार्टियां (पार्टी) एजेन्सी को नहीं सौंपेगा।
5. The contractor shall not assign or sublet his contract or any substantial part thereof to any other agency.
6. पूर्ति किया गया सामान सब अच्छी हालत में अच्छी किस्म का और निर्धारित आकार/बनावट और अनुमोदित मानकों के अनुसार होगा यदि किसी कारणवश अनुमोदित मानकों के अनुसार नहीं पाया जायेगा तो इस हालत में क्वालिटी को निर्धारित करने का अधिकार डीआईजी, कमाण्डेंट सीएसडब्ल्यूटी बीएसएफ इन्दौर को होगा। यदि किसी कारणवश पूर्ति किए सामान को अनुमोदित नहीं किया जाता है तो उसे अस्वीकार भी किया जायेगा या सप्लायर के खर्च पर ही बदला जायेगा।
6. All the stores supplied shall be of the best quality, to the specifications trade mark laid down for them and in strict accordance with approved standard samples and in case any materials of which there are no standard of approved supplies shall be of the very best quality and description obtain able in India. The decision of the DIG, Commandant C.S.W.T. B.S.F. INDORE shall be final as to the quality of the stores and shall be binding upon the tenderers and in case any of the articles supplied not being approved and thus shall be liable to be reject or replaced and any expenses or loss caused to suppliers as a result of rejection or replacement of supplies shall be entirely at the account of the tenderer.
7. खरीददार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का सप्लायर से औपचारिक लगाव बना रहे और सप्लाइ किए जाने वाले सामान को तथा सामान की कार्यशाला को जांच करने का अधिकार भी होगा।
7. Purchaser or his duly authorised representative shall have at all reasonable time access to the suppliers' and shall have the power at all reasonable time to inspect and examine the materials and workshop of the goods.
8. यदि अनुमोदित आकार और मानकों के अनुसार सामान की पूर्ति नहीं की जाती है तो ऐसी हालत में सामान की पूर्ति अस्वीकार कर दी जाएगी और बिना किसी अन्य खर्च के निर्धारित समय के अन्दर सामान की बदली और सामान की आपूर्ति करनी होगी। अगर अन्य सरकारी काम के कारण या सरकारी हक में सामान की बदली करना संभव न हो सके तो ऐसे सामान की कीमतों के द्वारा निर्धारित की गई कीमतें अन्तिम कीमत होंगी।
8. In case the goods other than of the approved quality make or size are supplied they shall be rejected and will have to be replaced within the period prescribed for the completion of the order by the supplier without extra cost. If due to exigencies of public work/interest such replacement is not possible, the prices of such articles will be reduced suitably. The prices fixed by DIG, Commandant CSWT B.S.F., Indore will be final.

PARA-6 The following may be added in para 6 above -

Warranty clause--That the contractor/seller hereby guarantees the stores would continue to conform to continue the description and quality for a period of 12 months from the delivery of said goods to the purchaser and 15 months from the date of shipment despatch by the contractor. This also is applicable for additional qty as case may be.

9. अस्वीकृत किए गए सामान को बी. एस. एफ. कैम्परा इन्दौर से सूचना के 15 दिन के भीतर यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान को नहीं ले जाया जाता है तो विभाग को सामान स्वयं हटाना होगा। 15 दिन की निश्चित समयावधि के भीतर ऐसे सामान को नीलाम करने तथा नीलाम से हुई आमदनी की पूर्तिकर्ता को भेजने के लिए स्वतंत्र होगा और सामान की पूरी कीमत का विभाग के द्वारा किए गये खर्च को रोल प्रोसिडिंग से काट लिया जायेगा जो कि पूरी अदायगी के 5% के बराबर होगा।
9. The rejected articles must be removed by the tenderer from the B.S.F. Campus, INDORE within 15 days of the date of information of rejection. The incharge stores cocern will take reasonable care of such materials but in no case shall be responsible for the premises of DIG, Comandant C.S.W.T., BSF INDORE After the expiry of 15 days, if the tenderer fails to remove the rejected stores, this Department will be free to auction the stores and remit the sale proceeds to the contractor concerned after deducting full expences of the Department incurred in auction plus remittance charges and also other Department incurred in auction plus remittance charges and also other Departmental charges at the rate of 5% from the sale proceeds.
10. निविदादाता सामान की रोड/रेल द्वारा भेजने से टूट-फूट का उत्तरदायी होगा और प्राप्तकर्ता का नियत स्थान पर सामान अच्छी हालत में पहुंचाने का भी उत्तरदायी होगा। सामान प्राप्तकर्ता के द्वारा जाँच करने पर यदि कोई कमी/टूट-फूट/लीकेज पाई गई तो उसे पूरा करने का उत्तरदायी भी निविदादाता ही होगा। इस हालत में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त खर्च की अदायगी नहीं की जाएगी।
10. The tenderer shall be responsible for the proper packings so as to avoide damage under normal conditions of transport by sea, rail and road or air and delivery of the material in good condition to the consignee at destination. In the event of any loss, damage, breakage or leakage or any shortage the tenderer shall be liable to make good such loss and shortage found at the checking/ inspection of the materials by the consignee. No extra cost on such account shall be admissible.
11. निविदा में किये गए रेट कार्यस्थल/रेलवे स्टेशन तक सामान को पहुंचाने के लिए होने चाहिए। और उसमेंतिथि को लागू राज्य/केन्द्रीय करों को छोड़कर बिना किसी अतिरिक्त सरकारी खर्च के सारे करों को शामिल किया जाना चाहिए। राज्य/केन्द्रीय करों को अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय आपूर्तियों के लिए भी रेट केन्द्रीय करों को छोड़कर सब करों को शामिल किया जाना चाहिए और केन्द्रीय कर अलग से भरे जावें। उक्त तिथि के बाद भी सामान सप्लाय की अवधि के समाप्ति के बाद करों में किए जाने वाली वृद्धि को विभाग के द्वारा वहन किया जायेगा। उसी तरह से यदि करों में उक्त तिथि के बाद कोई कमी घोषित की जाती है तो सफल निविदाकार को तदनुसार ही सामान की दरों में कमी करनी होगी। सामान के यातायात/गाड़ी भाड़ा के लिए विभाग कोई भुगतान नहीं करेगा और सामान की आपूर्ति बी. एस. एफ. कैम्पस इन्दौर परिसर में करनी होगी।
11. All rates quoted in the tender should be for supplied F.O.R. destination and should be inclusive of all taxes except State or Central Sales Taxes in force onwhich must be indicated sepearately, if the same are to be charged. In cases of local supplies also, the rates quoted should include all taxes except State/Central Taxes Tax, which may be indicated sepa rately, If the same are to be charged. Any increase in taxes imposed after the said date and before the expiry of the period of delivery shall be borne by the Department. Similarly in respect of any decrease in taxes announced after the said date, the successful tenderer shall have to reduce his rates, accordingly. No cartage or charges for transportation will be paid by the government, and the delivery of the goods shall have to be given at the premises of the B.S.F. Indore.

12. जिन निविदाकारों की निविदाओं को स्वीकृत किया गया हो उन्हें आपूर्ति आदेश देने की तिथि से सामान की आपूर्ति निर्धारित समय में निर्धारित शर्तों (अनेक्चर- "ग") के अन्तर्गत करनी होगी। आपूर्ति आदेश देने की तिथि मानी जायेगी, और आदेश किसी व्यक्ति हाथों हाथ भेजा गया हो तो निविदाकार को सौंपने की तिथि को आदेश भेजने की तिथि माना जाएगा। निविदा सूचना में दर्शाई गई मात्रा अनुमानित मात्रा है, इसलिए विभाग की आवश्यकतानुसार सामान की आपूर्ति करनी होगी। करार नाम में हस्ताक्षर हो जाने के बाद या पहले भी खरीददार के द्वारा सामान की मात्रा में कमी/बढ़ोत्तरीकरना नियमानुकूल होगी।
12. The tenderer whose tender is accepted shall arrange supplies within the period specified for the item in question in the specific terms and conditions of supplies as laid down annexure 'C', from the date of placing the order. The date of placing the order will be the date of despatch of the order or the delivery there of to the tenderer when such order is being delivered through some person. The quantities shown in the tender notice are approximate. The supplies will hence have to be made according to the requirement of the department. It shall be lawful for the purchaser to increase or decrease the quantities to be supplied before as well as after signing of the agreement.
13. आपूर्ति / निर्मित करने की निविदा किसी भी समय में दोहराई जा सकती है, यदि खरीददार की अपेक्षानुसार आपूर्ति / निर्मित नहीं हो पाती है।
13. The contract of supply/fabrication can be repeditated at any time of the supply/fabrication are not made to the satisfaction of the purchaser..
14. निविदाकार को निविदा स्याही से भरनी चाहिए। बाल पेन, पेन्सिल द्वारा भरी गई निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। कटिंग या ओवर राइटिंग निविदा में नहीं होनी चाहिए। यदि कोई शुक्तिरण किया जाए तो उसे छोटे हस्ताक्षर द्वारा साक्ष्यांकित किया जाना चाहिए।
14. Tenderer should be filled in with ink. Tender filled in by pencil shall not be considered. No additions or alteration or alterations should be made in the tender. No overwriting should be done. Corrections, if any, should be done clearly and intialled.
15. निविदाकार को निविदा फार्म (अनेक्चर 'क') और सामान्य शर्तें (अनेक्चर 'ख') विशेष शर्तें (अनेक्चर 'ग') और स्पेसिफिकेशन (अनेक्चर 'घ') तथा करारनामों के प्रत्येक पेज के अन्त में दाहिने तरफ की मान्यता स्वरूप हस्ताक्षर करने चाहिये।
15. The tenderers should sign the tender form (Annexure 'A') General terms and conditions (Annexure 'B') specific terms and conditions (Annexure 'C') specifications (Annaxure 'D') and the agreement form (Annexure 'E') on each and every page at the end in token of the acceptance of all the terms and conditions of the tender, and agreement.
16. प्रत्येक आपूर्ति की दिए गये रेट अनुसार कुल कीमत की 5% कीमत के बराबर बयाना राशि निविदा के साथ भेजनी होगी। बयाना राशि प्रत्येक आयटम के लिए बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो डीआईजी, कमाण्डेन्ट सीएसडब्ल्यूटी, बीएसएफ, इन्दौर के नाम से देय होगी, को अलग से प्रस्तुत करनी होगी। पेंडिंग बिलों का भुगतान विभाग द्वारा बयाना राशि से समायोजन नहीं किया जाएगा। निर्धारित बिना बयाना राशि भेजी गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी। बयाना राशि डीआईजी, कमाण्डेन्ट सी. एस. डब्ल्यू. टी. के कार्यालय में तब तक जमा रहेगी जब तक की निविदाओं पर अन्तिम निर्णय न हो जाए। निविदाओं पर अन्तिम निर्णय हो जाने पर जिनकी निविदाएं अस्वीकृत हो जाती हैं, उन्हें उनके द्वारा जमा की गई बयाना राशि वापिस कर दी जाएगी और जिनकी निविदाएं स्वीकृत कर ली जाती हैं, उनकी खरीदकर्ता द्वारा खरीद के लिए आदेश देने के बाद यदि स्वीकार नहीं किया जाता है या सामान की आपूर्ति बाजार में भाव बढ़ जाने या किसी अन्य कारण से नहीं की जाती है तो इस हालत में उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी।
16. Each tender must be accompanied by an earnest money @ 5% of the total cost of the indented supplies as per the rates quoted in the tender which-ever in less. Earnest money has to be submitted for each item separately by means of Bank Draft on SBI, C. S. W. T. B. S. F. Campus INDORE (Code 4518) in favour of DIG, Commandant BSF, INDORE. No adjustment of earnest money out the pending bills of amount with the Department will be allowed. The tenders received without earnest money or with or with less earenest money than prescribed will not be considered. The earnest money will remain deposited in the office of the DIG Commandant BSF till the final decision on the tenders received is taken by the said office. After the final decision on the tenders, the earnest money of unsuccessful tenderers will be returned and that of successful tenderers will not be returned and will be liable to foreclosure at the discretion of the purchaser in case the successful tenderer/ tenderers refuses/refuse to accept the order placed with him/them on account of market fluctuation or for any other reasons.

17. सफल निविदाकार को उसकी निविदा स्वीकृत की जाने की सूचना देने की तारीख से 10 दिन के भीतर 2 रुपये सिविल स्टाम्प पेपर ठेके के लिए निर्धारित फार्म में करारनामा निष्पादित करना होगा। ऐसे सफल निविदाकार को बयाना राशि दिए गए रेट के अनुसार कुल कीमत की 5 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत जमा करनी होगी। जैसा की उपर्युक्त शर्त नं. 16 में उल्लिखित किया गया है अगर वह ऐसा नहीं करता है तो निविदा के साथ प्राप्त उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी। सामान्य हालत में बयाना राशि इस कार्यालय में तब तक जमा रहेगी जब तक कि ठेके/आपूर्ति का काम पूरा नहीं हो जाएगा और जब ही वापिस की जाएगी जबकि ठेके से सम्बन्धित मामला पूर्ण हो जाएगा। इस तरह की बयाना राशि में विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। करारनामों में स्टैम्प तथा कागज आदि में होने वाले खर्च की अदायगी आपूर्ति कर्ता के द्वारा ही की जाएगी और खरीददार बिना किसी भुगतान के करारनामे निष्पादित करेगा। कोर्ट पेपर पर किये गये करारनामे की अतिरिक्त प्रतिलिपियां करारनामों के साथ प्रस्तुत करनी होगी और उसमें से एक प्रतिलिपि विधिवत स्वीकृत कर लेने के बाद सम्बन्धित निविदाकार को भेज दी जाएगी। तत्पश्चात् की सामान की आपूर्ति के लिए आपूर्तिदाता के पास सामान की आपूर्ति देने हेतु औपचारिक आदेश भेजा जाएगा।
17. The successful Tenderer/Tenderers will have to execute an agreement on a non-judicial stamp paper of Rs. 2/- required for contract deeds in the prescribed form within 10 days from the date he/they/it/are informed of the acceptance of his/their tender. Such successful tenderer shall have to raise his/their security to 5%/10% of the total cost of the specific/bauntitled as per the rates quoted in the tender in the form prescribed in conditions No. 16 above for the performance of the contract. In case he fails to do so his earnest money received with the tender will be forfeited. The security money will remain deposited with the DIG, Commandant CSWT BSF, Indore till the completion of the contract and will only be returned when all the issues pertaining to the contract are fully and finally settled. No interest will be paid by the Department on such security amount. The expenses of completion and stamping the agreement shall be paid by the suppliers and the purchaser shall be furnished free of charge with one duly executed and stamped counterpart of the agreement. The extra copies of the agreement on court paper will have to be submitted with agreement, out of which one copy will be returned to the party concerned duly accepted, and then a formal order will be placed with the suppliers for arranging supplies.
18. फार्म को पैसा भेजने में लगे खर्च भी ठेकेदार द्वारा ही वहन किया जाएगा।
18. Remittance charges on payment made to the firms will be borne by the contractors.
19. यदि स्वीकृत निविदाकार सामान सप्लाय विनिर्दिष्ट/बनावट/आकार के मुताबिक नहीं करते हैं या निर्धारित अवधि के अन्दर सामान की आपूर्ति नहीं करते हैं तो यह खरीददार पर निर्भर होगा की यह खरीद निविदादाता से करें या किसी और से।
- नोट : नुकसान की भरपाई पूर्व में करना :
- यदि सामान पहुंचने की निश्चित तिथि में सामान की आपूर्ति नहीं की जाती है तो नुकसान की पूर्व निर्धारित भरपाई बाकी सप्लाय किये जाने वाले सामान की कीमत के 2 प्रतिशत राशि के दर से दण्ड स्वरूप लगाई जाएगी और खरीदकर्ता का निर्णय आपूर्ति कर्ता को मानना होगा। खरीददार स्वीकृत आपूर्ति को नुकसान पूरा करने के लिए या किसी प्रकार के उल्लंघन की शिकायत होने पर सनयावधि का उपयोग करते हुये लिखित नोटिस जारी कर सकता है। फिर भी यदि नोटिस जारी करने के 7 दिन के भीतर आपूर्तिकर्ता सामान की आपूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसी हालत में पूर्तिकर्ता ने जो बयाना राशि जमा की है उससे नुकसान जो पूरा करने के लिये खरीददार कर सकता है या दूसरी एजेन्सीयों के माध्यम से आपूर्ति लेने में हुये अधिक खर्च का भुगतान करने के लिये कहना नियमपूर्वक होगा। (एनेक्शर 'ई') की शर्त (4) (5) करारनामे में जैसा बन्दोबस्त किया गया हो ठेके की शर्तों को या किसी एक शर्त को पूरा न करने की हालत में प्रति एक हजार रुपये 50/- रुपये प्रतिदिन की दर से दण्ड राशि के रूप में काटी जायेगी या सामान की कुल कीमत के 15 प्रतिशत राशि जो भी कम हो या तो आपूर्तिकर्ता की दी जाने वाली बाकी राशि में से बयाना राशि में से या किसी दूसरे उपाय से या जिस तरह से सरकारी बकाया राशि वसूल की जाती है वसूल की जायेगी। निविदा एक्ट की सेक्शन "74" के अन्तर्गत खरीददार दंड निर्धारित करने के लिये स्वविवेक से निर्णय लेगा।
19. If the approved suppliers fail either to accept the order to supply goods of the prescribed specifications or to deliver the goods within the specified period the purchaser shall be at liberty to arrange supply either through tenderer or otherwise.

